न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस

अपील सं0 2012/00326 (49/2011) 75एलआरएक्ट

सुखविन्द्र सिह पुत्र सरजीत सिह जाति जटसिख सा0 रताखेड़ा तह0 टिब्बी जिला हनुमागनढ। —अपीलाण्ट

बनाम

महेन्द्र कुमार पुत्र मनोहरलाल जाति अग्रवाल निवासी 73 सी ब्लॉक श्रीगंगानगर तहसील व जिला जिला श्रीगंगानगर। —रेस्पोडेण्ट

विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 11.04.2011 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी प्र0 सं0 219/2009 शीर्षक महेन्द्र कुमार बनाम सुखविन्द्र सिंह आदि

उपस्थितः–

श्री शंकर सोनी अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री छगनलाल सिडाना अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांकः-- 23.12.2019

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में आवंटी ठाकरदास पुत्र गणेशदास के नाम दर्ज चक 3 आर.के. जमाबंदी संवत 2066–69 खाात संख्या 81/83 प. नं. 117/278 (4) कि. नं. 2 तादादी .076 है0 किला नं. 3/ 013 है0 किला नं. 7/2 तादादी .190 है0 किला नं. 8, 9, 10 सालम कुल 1.038 है0 भूमि को रजिस्टर्ड बैयनामा से खरीदशुदा होने का कथन किया तथा विवाद होने पर उक्त भूमि को कुर्क कर दिया गया तथा दिनांक 15.07.2003 को विवाद का निस्तारण होने पर भूमि का कब्जा प्रार्थी/रेस्पोडेण्ट संख्या 1 को दिया जाने का कथन करते हुए भूमि को अपने नाम खातेदारी दर्ज करने का अनुतोष मांगा। तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसने उक्त भूमि सुखविन्दरसिंह पुत्र सुरजीतसिह जाति जटसिख का कब्जा काश्त होना बताया जिसका नियमन का प्रार्थना–पत्र विचाराधीन है। सुखविन्द्र सिह को नोटिस दिया गया जिसने उपस्थित आकर बताया कि प्रश्नगत भूमि उसने

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

जरिये इकरारनामा खरीद की है प्रार्थी महेन्द्रसिंह का कोई कब्जा नहीं रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र एवं जवाब प्रार्थना–पत्र के आधार पर रेस्पोडेण्ट का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर बेयनामा में वर्णित भूमि के नियमन की निर्धारित राशि डीएलसी की 25 प्रतिशत व शास्ती राशि एक सप्ताह में जमा करवाने पर प्रार्थी की पत्रावली आगामी निष्क्रान्त भूमि निस्तारण की सलाहकार समिति के समक्ष रखी जाने तथा प्रार्थी प्रश्नगत भूमि का कब्जा प्राप्त करने के लिए अलग से वाद सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने का अपीलाधीन निर्णय पारित किया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि ठाकरदास पुत्र श्री गणेशदास जाति सिन्धी के नाम आवंटित है परन्तु प्रत्यर्थी महेन्द्र कुमार द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र किसी ठाकरदास बिश्नोई द्वारा निष्पादित है इसलिए महेन्द्र कुमार द्वारा व्यक्त विक्रय पत्र दिनांक 30.05.59 से अन्तरण का नियमन किया जाना विधि विरूद्व है। प्रत्यर्थी महेन्द्र कुमार द्वारा किसी कूटरचित विक्रयपत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई है। मूल विक्रय पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है और फोटो स्टेट प्रति के आधार पर अन्तरण का नियमन किया जाना विधि विरूद्व है। महेन्द्र कुमार द्वारा प्रस्तुत फोटोस्टेट प्रति विक्रय पत्र किसी व्यक्ति ठाकरदास बिश्नोई के मुखत्यार जगदीशराम पुत्र कनीराम द्वारा निष्पादित किया गया है। मूल आवंटी ठाकरदास कभी भी जगदीशराय **नामक व्यक्ति को अपना मुखत्यार नियुक्त नही किया था और** महेन्द्र कुमार ने किसी मुखत्यारनामा की प्रति भी प्रस्तुत नहीं की है। प्रश्नगत भूमि में से पत्थर नं. 217/278 के किला नं. 1/.164 व 7/.025 है0 भूमि किसी व्यक्ति चिमनलाल पुत्र मूलचन्द्र को आवंटित थी और चिमनलाल द्वारा प्रत्यर्थी महेन्द्र कुमार के पक्ष में किसी भी तरह का अन्तरण नहीं किया है। प्रनगत भूमि राष्ट्रपति भारत सरकार के नाम से है एवं तत्समय के पुर्नवास विभाग द्वारा आवंटन निरस्त किया हुआ है। उक्त भूमि पर निर्विवाद रूप से 1997 से अपीलार्थी सुखविन्द्र सिंह का कब्जा है इसलिए प्रश्गनत भूमि के कब्जा का नियमन नियमानुसार राशि जमा करवाई जाकर अपीलार्थी के पक्ष में किया जाना चाहिए था। विक्रयपत्र में कब्जा भूमि व प्रतिफल का अन्तरण नहीं हुआ है इसलिए भी उक्त विक्रय विधि विरूद्व है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि प्रश्नगत भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद की गई था परन्तु अलॉटी ठाकरदास के नाम से मूल आवंटन की 2000/– रूपये की राशि बकाया होने के कारण पुनर्वास अधिकारी के द्वारा उक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

भूमि को कुर्क कर दिया गया था प्रार्थी ने अपनी खरीद की गई भूमि की समस्त राशि मय ब्याज जमा करवाने पर प्रार्थी के द्वारा खरीद की गई भूमि का कब्जा प्रार्थी को देने के आदेश पारित करने पर पटवारी हल्का ने प्रश्नगत भूमि का कब्जा प्रार्थी को दिनांक 15.07.2003 को दे दिया था जो घटना बही से साबित होता है। प्रार्थी गंगानगर का निवासी होने के कारण अपनी भूमि की सही रूप से देखभाल नहीं कर सकता था इसलिए अप्रार्थी के पिता को भूमि ठेके पर काश्त करने हेतु दी गई थी तथा अप्रार्थी का पिता हर वर्ष ठेका राशि दिया करता था। प्रश्नगत भूमि पर अप्रार्थी सं0 1 सहमति से काबिज है। अप्रार्थी के द्वारा प्रार्थना-पत्र आदेश 11 नियम 14 सीपीसी पेश कर मूल बेयनामा पेश करने हेतु निवेदन किया गया है जिसके सम्बन्ध में निवेदन है कि ठाकरदास के पास चक 3 आरके के अलावा 4 एस.आर.डब्ल्यू. में 6.10 है0 बीघा भूमि और थी जिसे अलाटी ने सूरजमल पुत्र चिरंजीलाल को बेचान किया गया था प्रार्थी व सूरजमल के द्वारा एक ही बैयनामा से भूमि खरीद की गई थी एक ही बैयनामा से भूमि खरीद करने के कारण मूल बैयनामा सूरजमल के पास है। प्रार्थी के पास मूल दस्तावेजात नहीं है। उक्त बैयनामा जरिये मुखत्यारआम हुआ है परन्तु अप्रार्थी सं0 1 का प्रश्नगत भूमि में किसी प्रकार का हक व अधिकार नहीं है। प्रश्नगत भूमि प्रार्थी की खरीदशुदा भूमि है। जिसे राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 06.10.2009 की पालना में निर्धारित शुल्क जमा करवाया जाकर प्रार्थी बैयनामा को नियमन कर राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज करने हेतु सलाहकार समिति के समक्ष रखने के आदेश दिये हैं जो विधि सम्मत हैं। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
6. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने अलॉटी ठाकरदास पुत्र गणेशदास जाति सिन्धी से जरिये बैयनामा दिनांक 30.05.1969 प्रश्नगत भूमि को खरीद करना बताते हुए बैयनामा का नियमन किये जाने का आवेदन पेश किया था। विचारण न्यायालय ने डीएलसी की 25 प्रतिशत राशि एक सप्ताह में जमा करवाने पर प्रार्थी की पत्रावली आगामी निष्क्रान्त भूमि निस्तारण की सलाहकार समिति के समक्ष रखी जाने एव प्रश्नगत भूमि का कब्जा प्राप्त करने के लिए अलग से वाद सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने का निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के इस निर्णय से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि पर रेस्पोडेण्ट का कब्जा काश्त नहीं है। अपीलाण्ट का कब्जा काश्त है। **इस अपीलाधीन निर्णय के उपरान्त अपीलाण्ट ने कब्जा काश्त के आधार पर अधीनस्थ न्यायायल में एक नया वाद संख्या 101/2010 सुखविन्द्रसिंह बनाम चिमनलाल प्रस्तुत किया जिसका निर्णय अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 05.12.2011 को पारित किया था और अपीलाण्ट सुखविन्द्र को उस प्रकरण में प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकार दे दिये,**

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

जिसके विरूद्ध दो अपीलें इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई। जिसमें एक अपील संख्या 2012/00265 (53/2012) विनोद कुमार बनाम सुखविन्द्र हुई एवं दूसरी अपील संख्या 2012/00437 (55/2012) बअनवानी महेन्द्र कुमार बनाम सुखविन्द्र प्रस्तुत हुई है। उक्त दोनों अपीलें इस अपील की भूमि से सम्बन्धित थी जो अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 05.12.2011 को निरस्त करते हुए आज दिनांक 23.12.2019 को स्वीकार कर प्रतिप्रषित की गई है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के दो निर्णयों के खिलाफ तीन अपीलों में एक साथ बहस सुनी गई थी क्यों कि दोनों अपीलाधीन निर्णयों में एक ही भूमि से सम्बन्धित दो अलग अलग एवं विरोधाभाषी निर्णय पारित कर दिये गये हैं। इसलिए यह अपील भी आंशिक स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.04.2011 निरस्त करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित है कि अधीनस्थ न्यायालय के उपरोक्त दोनों वाद को समेंकित करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे जिससे की किसी विराधाभाषी निर्णय की पुनरावर्ति ना हो।

7. अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.04.2011 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह इस भूमि से सम्बन्धित अपने वाद संख्या 101/2010 सुखविन्द्र सिंह बनाम चिमनलाल एवं वाद संख्या 219/2009 महेन्द्र कुमार बनाम सुखविन्द्र सिह को समेंकित करते हुए साथ ही एवं इस भूमि से सम्बन्धित अन्य कोई वाद आपके स्तर पर हो तो इस सम्बन्ध में पक्षकारों से जानकारी प्राप्त कर इकजाई निर्णय पारित करे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.01.202 को उपस्थित हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 23.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(आशाराम डूडी आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2020.01.10 13:43:09 IST
Reason: SelfAttested
Location: